

## नियमावली

1. संस्था का नाम : जमन एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : जम पुटे इन्डन, पोस्ट बारी, ताहसील रुदीली,  
जिला कैजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की लक्ष्यता तथा सदस्यों के हित  
 राष्ट्रीय महत्त्व : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000/-  
 रुपये भुक्त या इतने ही मूल्य की संपत्ति भाल या जमल रूप  
 में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा  
 सामान्य महत्त्व : जो व्यक्ति संस्था को विकास हेतु 100/रुपये सालाना  
 पन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. उद्देश्यता की शक्तियाँ:
  1. मृत्यु हो जाने पर।
  2. यागल या विवाहिया हो जाने पर।
  3. संस्था के प्रति हानिकार कार्य करने पर।
  4. अधिराज्य प्रस्ताव पेशित होने पर अथवा त्यागपत्र देने पर।
  5. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
  6. निवृत्ति रूप से सदस्यता भुक्त न अर्पण करने पर।
  7. समाज की सेवा में अनुपस्थित होने पर।



6. संस्था के अंग : 1. सभासदन संघ 2. प्रबंधकमित्री समिति।
7. सभासदन संघ की शक्तियाँ:
 

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को नितांतर सभासदन संघ का सदस्य होगा।

संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार या विशेष बैठक कभी-कभी की जायेगी।

संस्थासदन संघ की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व या विशेष बैठक की सूचना 7दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में एजीण्डे के अनुसार दी जायेगी।

सभासदन संघ के कुल सदस्यों में से 2/3सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

सभासदन संघ का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकमित्री समिति के 2/3सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

- प्रशासनिक काम के प्रावधान:
1. प्रबंधकमित्री समिति का निर्वाचन करना।
  2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
  3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
  4. संस्था के निष्पत्तियों में संशोधन प्रक्रिया चलाना।

Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including a date '21-11-2017' and a signature 'Prin...'. There is also a blue official stamp of the 'Prin... Institute of Medical Sciences, Allahabad'.

4. प्रबन्ध कारिणी समिति :
- समय : सामान्य सभा द्वारा निर्धारित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति में चयन होगा। समिति का एक एक-एक सदस्य एक-एक गांव/ग्राम पंचायत का सदस्य रहित कुल संख्या 07 होगी।
- बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतापूरतः किसी भी समय आयोजित की जा सकती हैं।
- सूचनाप्रवधि: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दी जायेगी।
- गणपूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत जरूरत होगा।

विकास स्थापना की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के विकास स्थान होने पर उसकी पूर्ति सामान्य सभा की 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा गैर अवधि के लिए की जायेगी।

- प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :
1. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
  2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
  3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
  4. संस्था के विकास हेतु विभिन्न विभागों/मंत्रालयों/अर्द्धसरकारी/सरकारी/पिजी बैंकों से ऋण अनुदान एवं ऋण आदि प्राप्त करना।
  5. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु समस्त बैंक विलेख पर प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।



सत्य प्रतिवृत्ति

जहाँ सत्य है वहाँ प्रबन्धक कोषाध्यक्ष

ऋण अदायगी का पूर्ण दायित्व प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष का होगा।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के महासचिवों के कर्तव्य व कर्तव्य :
- कर्तव्य:
1. बैठक की अध्यक्षता करना।
  2. बैठक में शक्ति व्यवस्था कायम रखना।
  3. स्थान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
  4. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिसरान करना।
  5. यदि भविष्य में संस्था में कोई विवाद हो तो संस्था द्वारा संबन्धित सभी संस्थानों का निवारण/महाविद्यालयों में सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष का होगा एवं प्रशासनिक/वित्तीय कोई भी निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष का होगा।

*(Handwritten signature)*

प्रतिभारित  
डुर्गेश कुमार  
21 जून 2011

*(Handwritten signature)*  
प्रबन्धक

*(Official stamp and signature)*  
कोषाध्यक्ष